



208

दस्तावेज- 2286709
2286710

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक : 1256 / 76/एक/2015-16

दिनांक: 4 जुलाई 2016

सेवा में,

परियोजना अधिकारी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-महोबा।

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अन्तर्गत धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) आश्रय योजना के अन्तर्गत धनराशि निम्नानुसार आपके डूडा जनपदीय स्तर पर एनयूएलएम योजनान्तर्गत खोले गये खाते में स्थानान्तरित कर दी गयी है:-

(धनराशि लाख रू० में)

क्र. सं.	जनपद का नाम/निकाय का नाम	परियोजना की संख्या	परियोजना की निर्माण लागत	परियोजना लागत में केन्द्रांश/राज्यांश (के०75/रा०25)			अवमुक्त की गयी 40 प्रतिशत प्रथम किस्त की धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली द्वितीय किस्त की धनराशि 40 % (75के०/रा०25)
				केन्द्रांश	राज्यांश	योग		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	महोबा/महोबा	1	175.01	131.257	43.753	175.01	70.004	70.004
	योग		175.01	131.257	43.753	175.01	70.004	70.004

क्र०सं०	जनपद का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	एनयूएलएम (आश्रय योजना) के अन्तर्गत धनराशि का प्रेषण
1	महोबा	बैंक आफ बड़ौदा	11900100020139	IFSC Code BARB0MAHOBA	70.004
	योग				70.004

- 1-उक्त धनराशि का प्रयोग केवल उसी मद में किया जायेगा जिस मद में धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
- 2-धनराशि का नियमानुसार उपयोग किये जाने के उपरान्त अभिकरण को निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3-एनयूएलएम योजना के उपघटकों हेतु जारी दिशा-निर्देश एवं कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
(लाल प्रताप-सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-

- 1- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण सम्बन्धित जनपद को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- परियोजना निदेशक, एनयूएलएम-सूडा।
- 3- कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।
- 4- श्री योगेश आदित्य, सहायक अधिकारी, सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक